Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **पाली में ट्रैप किये गये राजस्व पटवारी के विभिन्न ठिकानों की तलाशी में मिली 12 लाख 20 हजार रुपये से अधिक की नगदी**
- **सोना–चांदी एवं बहुमूल्य परिसम्पत्तियों के दस्तावेज भी मिले, अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *25 जनवरी।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जालोर इकाई द्वारा आज मंगलवार को पाली में कार्यवाही करते हुये कमल किशोर पटवारी हल्का–पाली–द्वितीय, जिला पाली को उसके दलाल चिकूराम सांसी (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 30 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। ट्रैप के पश्चात ए.सी.बी. की टीम द्वारा आरोपी पटवारी के पाली स्थित निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी में कुल 12 लाख 20 हजार रुपये से अधिक की नगदी, सोना–चांदी एवं बेशकीमती परिसम्पत्तियों के दस्तावेज मिले हैं।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जालोर इकाई द्वारा परिवादी द्वारा शिकायत पर कमल किशोर पटवारी हल्का–पाली–द्वितीय, जिला पाली द्वारा अपने दलाल चिकूराम सांसी (प्राईवेट व्यक्ति) सहित 30 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। ट्रैप के पश्चात ए.सी.बी. पाली–द्वितीय के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महिपाल चौधरी** के नेतृत्व में ए.सी.बी. टीम द्वारा आरोपी पटवारी कमल किशोर के निवास स्थान मकान नं0 240, आशापुरा नगर, खोड़ेपुरा बालाजी रोड़, पाली एवं मकान नं0 1340, सूर्यानगर, पाली की तलाशी ली गई। तलाशी में **12 लाख 20 हजार रुपये से अधिक की नगदी, करीब 150 ग्राम सोना, 150 ग्राम चांदी के आभूषण और करोड़ों रुपये बाजार मूल्य की बेशकीमती परिसम्पत्तियों यथा पाली शहर में दो आवासीय मकान, कृष्णानगर पाली में दो आवासीय भूखण्ड, कृषि भूमि, बैंकों में एफ.डी./बचत खातों में जमा, एल.आई.सी. एवं म्यूचुअल फंड में निवेश** के दस्तावेज मिले हैं।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।